

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर

वन भवन परिसर, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज0)

Email - ccfwl.udpr.forest@rajasthan.gov.in, Ph. 0294-2414374, 2414292

क्रमांक:- एफ 9(373) एफ.सी.ए./मुवसं/व.जी./2023-24/1640

दिनांक 03.05.2024

निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी (F.C.A)
राजस्थान, जयपुर

विषय:- Proposal no. : FP/RJ/WATER/151001/2022, Name of Project : AUGMENTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND LAKE, FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER TO NEW PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISAMAND LAKE TO UDAIPUR के एफ.सी.ए. प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 63-64 दिनांक 09.01.2024 एवं कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव उदयपुर का पत्रांक 4321 दिनांक 03.05.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आप द्वारा उक्त प्रस्ताव में कुछ आक्षेपों के संबंध में सूचना चाही गयी है। जिसके क्रम में कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर के द्वारा आक्षेपों की पूर्ति कर इस कार्यालय को अपनी रिपोर्ट प्रेषित की है, जिसकी प्रति श्रीमान् को संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(एस.आर.वी.मूर्थी)
मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव, उदयपुर

03/05

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव उदयपुर (राज.)

बडी रोड, देवाली पोस्ट बॉक्स न. 161, फोन 0294-2800009

Email ID -dcfwludz@gmail.com

क्रमांक: एफ 9()सर्वे/उवसं/वजी/2024-25/ 4321

दिनांक: 03/05/2024

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव, उदयपुर

विषय: Proposal no. : FP/RJ/WATER/151001/2022, Name of Project : AUGMENTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND LAKE, FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER TO NEW PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISAMAND LAKE TO UDAIPUR के प्रस्ताव में आक्षेपों की पूर्ति करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर का पत्रांक 63-69 दिनांक 09.01.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि उक्त एफ.सी.ए. प्रस्ताव में प्राप्त हुए आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार है:-

विन्दु संख्या	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	The NFL land is given in two parts (2.3438 and 0.15 ha), which is not admissible as per FCA guideline 2023 chapter 2.2 (ix). NFL should be provided in one cluster. 0.15 ha NFL not adjoining to the forest area also.	इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
2	Pump house and GSS has been taken in forest land in area calculation sheet but in component wise details pump house is taken in Non forest land.	यूजर एजेन्सी के द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	Arca calculation sheet for sanctuarywise (Forest and non forest land) has not been provided. 4. Status of wildlife clearance proposal has not been submitted.	यूजर एजेन्सी के द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
4	Status of wildlife clearance proposal has not been submitted	उक्त प्रस्ताव के वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस का प्रस्ताव ऑनलाईन किया जा चुका है, जो वर्तमान में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर के स्तर पर प्रगतिरत है।
5	Why the CA scheme for DFL is submitted by DCF WL Udaipur	चूंकि प्रत्यावर्तन के संबंध में गैर वन भूमि कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर को हस्तांतरित की गयी है, परन्तु इस कार्यालय के द्वारा सहवन से submit हो गया है, जिसे प्रस्ताव से डिलीट कर दिया गया है।
6	As the area of CCF Udaipur is 1.9596 ha but CCF mentioned the area is 2.1137 ha. Rectification is	इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

	required.	
7	Area between bridge and GSS is left out. It can be adjusted in GSS area.	यूजर एजेन्सी के द्वारा संशोधित कर दिया गया है।

भवदीय



(डी.के.तिवारी)
उप वन संरक्षक,
वन्यजीव, उदयपुर